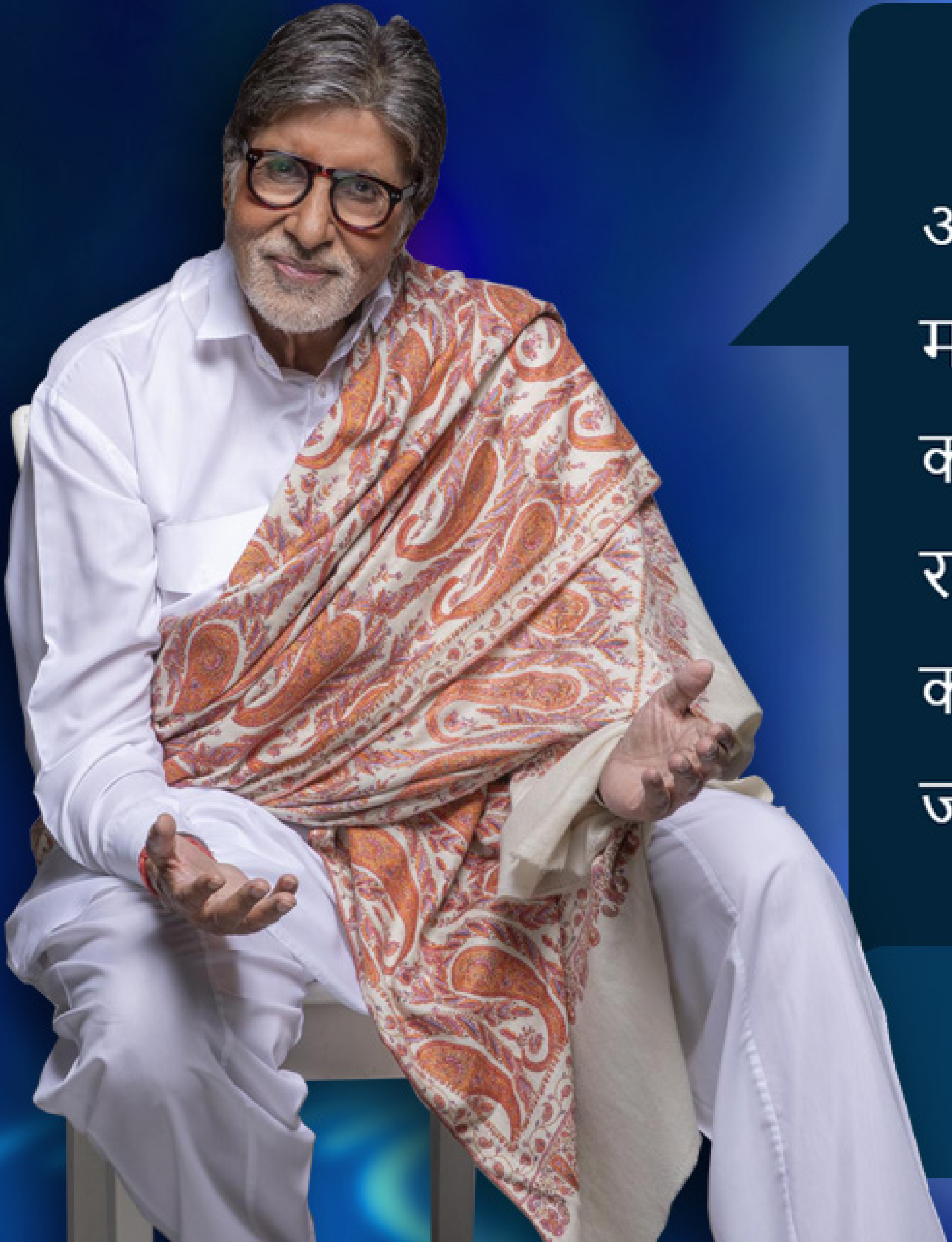

#StayAware #StaySafe

अगर आपको RBI या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम, जैसे कि, lottery/ tax refund का ऑफर मिलता है तो उसपर भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए न तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और न ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे मैसेज को अनदेखा करें।

RBI कहता है!
जानकार बनिए,
सतर्क रहिए!

#StayAware #StaySafe

अपना ओटीपी, पिन, कार्ड डिटेल्स किसी से शेयर न करें। जालसाज़ KYC अपडेशन या किसी और बहाने से आपसे ये डिटेल्स मांग सकता है। वो आपको लिंक भेजकर या फिर अपनेआप को बैंक या RBI का कर्मचारी बताकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकता है और आपके खाते से पैसे निकाल सकता है। तो सावधान रहें और धोखाधड़ी से बचें|

RBI कहता है!
जानकार बनिए,
सतर्क रहिए!

धोखाधड़ी के कारण होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए आप अपने कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेनदेन के लिए उपयोग सीमाएँ यानि कि, limits निर्धारित कर सकते हैं| आप ऑनलाइन और मर्चेंट transaction- दोनों के लिए दैनिक सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। ये सुविधाएं मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम से चालू या बंद की जा सकती हैं और ये आपके खर्चे और नुकसान- दोनों को ही सीमित रखने में कारगर हैं|

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए|

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

आप अपने बैंक खाते और लॉकर के लिए नॉमिनी ज़रूर दर्ज करें। बैंक खाते में नामांकन, यानि nomination करने से, जमाकर्ता के बाद उसके बैंक खाते के रकम का भुगतान आसानी से हो सकता है|

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए|

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

यदि आपको बैंक ने बीमा पॉलिसी या कोई अन्य वित्तीय सेवा दी है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आपने नहीं माँगा था, या फिर, जिसके महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में आपको पहले नहीं बताया गया था, तो आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज करने में संकोच न करें। और यदि आप बैंक के जवाब से संतुष्ट न हों, तो RBI के लोकपाल को लिखकर या RBI के Complaint Management System (CMS) पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं|

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए|

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

यदि आपके बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) या पेमेंट सिस्टम प्रतिभागी (जैसे कि, ई-वॉलेट के प्रदाता) ने एक महीने से अधिक समय तक आपकी शिकायत का समाधान नहीं किया है या आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप RBI के लोकपाल को उनके Complaint Management System (CMS) पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं | RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए|

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

ATM transaction असफल होने पर, बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों को रिवर्स नहीं करता है, तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया, तो आप RBI के लोकपाल को Complaint Management System (CMS) पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं|

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए|

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

अपने अकाउंट से संबन्धित लेन-दें के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल register करें। अगर आपको किसी ऐसे लेन-देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें|

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

ऑनलाइन बैंकिंग करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। जैसे कि, अपने मोबाइल phone, ईमेल या बटुए (purse) में महत्वपूर्ण बैंकिंग डेटा न रखें ।

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, विश्वसनीय और सुरक्षित (यानि कि https: से शुरू होने वाले) वेबसाइटों का प्रयोग करें। अपने बैंकिंग लेनदेन के लिए सार्वजनिक, खुले एवं मुफ्त नेटवर्क का प्रयोग न करें।

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

अपना OTP/ CVV/ ATM पिन किसी के साथ share न करें। अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन को समय-समय पर बदलते रहें। यदि आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड खो जाता है, तो तुरंत उसे ब्लॉक करें।

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

यदि आपको पता चलता है कि किसी ने धोखे से आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए हैं, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। जब भी बैंक को सूचित करें, बैंक से पावती लेना याद रखें। जानकारी मिलने के 90 दिनों के भीतर बैंक को आपकी शिकायत सुलझानी होगी।

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

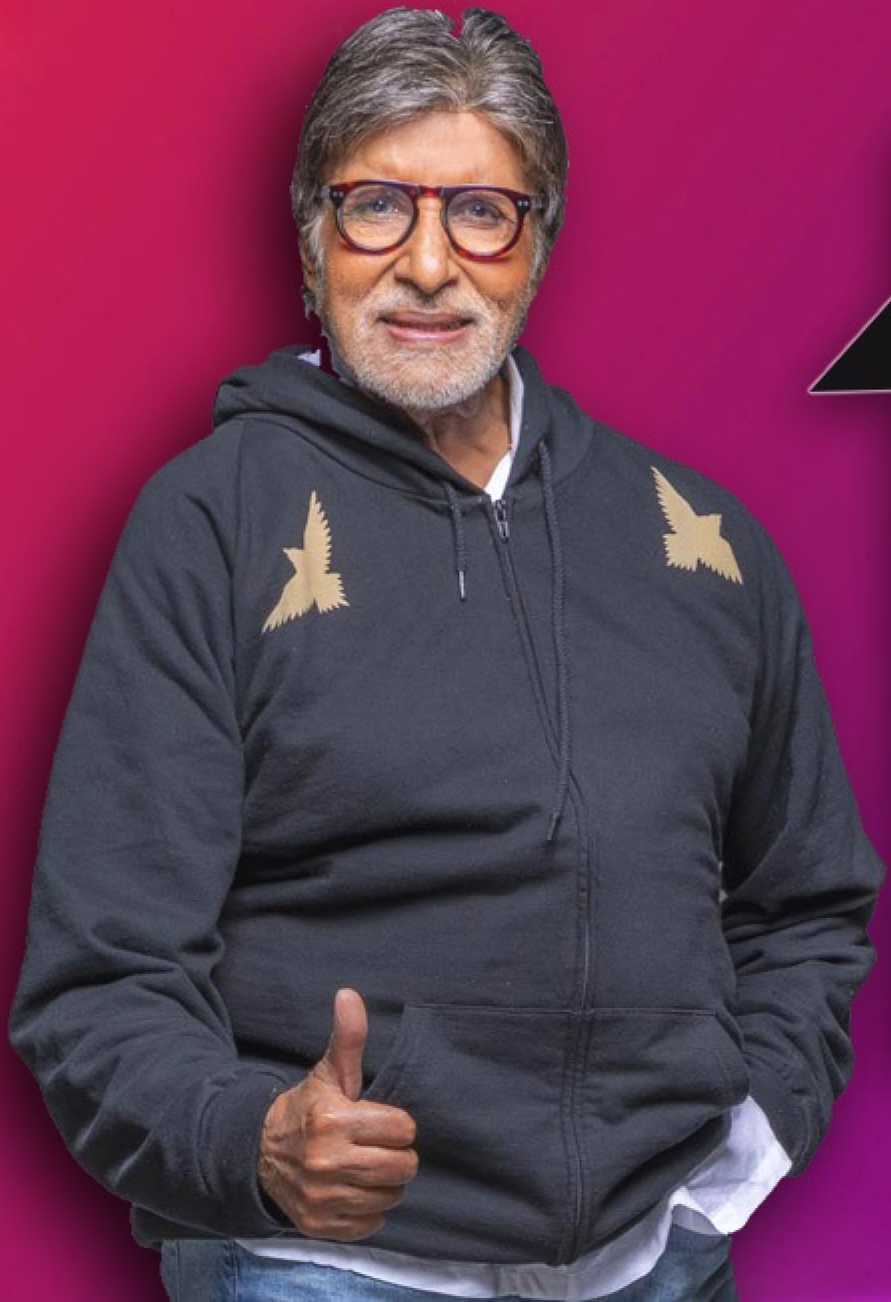

यदि आपने अपना password, PIN या OTP गलती से share किया हो और आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो, तो आपको तब तक नुक़सान उठाना पड़ेगा जब तक आप अपने बैंक को सूचित नहीं करते हैं। सूचित करने के बाद अगर कोई नुक़सान होता है, तो बैंक को उसकी भरपाई करनी होगी। बस reporting में देरी न करें। शुभस्य शीघ्रम !

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद में ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी fast और high रिटर्न वाली scheme के बहकावे में न आएँ, सोच समझकर अपने पैसे निवेश करें।

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

**RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!**

किसी भी scheme में पैसे डालने से पहले scheme की अच्छी तरह जांच परख कर लें| Fast और high रिटर्न का वादा करने वाली अनियमित संस्थाओं के लालच में न फंसे। इससे धोखाधड़ी हो सकती है |

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

किसी भी योजना (scheme) के तहत जमा पैसे वापस न करने वाले किसी संस्था के खिलाफ शिकायत हो, तो आप आरबीआई के ‘सचेत’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

RBI कहता है- जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!